

संख्या: 1992 /छ:-पु0-8-2018-801(64)/2017टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 01 नवम्बर, 2018

विषय: अग्निशमन सेवा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।


महोदय,

अग्निशमन सेवा के संबंध में रिट याचिका संख्या-1036(एमबी)/2016 (पी0आई0एल0) नेशनल एलायन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के क्रम में अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1765/छ-पु0-8-2017-905(34)/2016, दिनांक 16.02.2018 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. सिंगल विण्डो पोर्टल के संबंध में उद्यमियों द्वारा उठाई गयी समस्या यथा अग्निशमन सेवा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित एप्लीकेशन मेन सर्वर पर होस्ट करा दी गयी है।

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फायर से सम्बन्धित सभी प्रकार की एन0ओ0सी0 ऑनलाइन ही जारी की जायेगी। इस संबंध में ओल्ड साईट को दिनांक 01.11.2018 की सॉय से शट डाउन कर नया सर्वर उसी डोमेन नाम से दिनांक 05.11.2018 से पूर्णतः क्रियाशील कर दिया जायेगा तथा 06.11.2018 के पश्चात् अग्निशमन सेवा सम्बन्धी कोई भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र मैनुअल जारी नहीं किया जायेगा। कृपया उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन।
3. श्री अविनाश कुमार, विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. निदेशक, यू०पी० डेस्को।
7. निदेशक, उद्योग बन्धु।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
10. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, फायर सर्विस एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ०प्र०।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
01.11.18
(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।